प्रेस नोट

दिनांक 19.10.2026

थाना दोहरीघाट- जनपद मऊ

पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में दिनांक 19.10.2026 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नई बाजार अंडरपास के पास से मु0अ0सं0 238/2026 धारा 87/137(2)/65 बीएनएस व 5(l)/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त रविकान्त पुत्र रामप्रसाद, निवासी फरसरा खुर्द, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ (उम्र करीब 30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. नाम व पता: रविकान्त पुत्र रामप्रसाद, निवासी- फरसरा खुर्द, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ (उम्र करीब 30 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 238/2026 धारा 87/137(2)/65 बीएनएस व 5(l)/6 पाक्सो

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

नई बाजार अंडरपास के पास, **दिनांक** 19.10.2026

गुम/खोये हुए 01 मोबाइल फोन करीब 39000/- रुपये कीमती थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के द्वारा साइबर अपराध को रोकने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आम जनता का 01 अदद मोबाइल फोन जो दिनांक 19.09.2026 को गुम हो गयी थी जिसे आवेदक सुरेंद्र यादव पुत्र शहादुर यादव निवासी भूसुआ थाना रानीपुर जनपद मऊ का गुम मोबाइल फोन जिसकी कीमत 39000 रुपये को आज दिनांक 19.10.2026 को साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उनके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

पुलिस संदेश - पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा बताया गया कि यह अभियान नागरिकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए चलाए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागरिकों की सुरक्षा और उनके सामानों की रक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मऊ पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे अपने मोबाइल फोन के IMEI नंबर सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की चोरी या गुमशुदगी की घटना की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें।

पाक्सो एक्ट से सबंधित व 15000/- रुपये का इनामिया वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार गिरफ्तारी-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन के नेतृत्व में दिनांक 19.10.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय मधुबन गेट से 15 मीटर पहले मु0अ0सं0 254/26 धारा 376(2)(N)/ 328/504/ 506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)(v) एससी/ एसटी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित 15000/- रुपये इनामिया व वांछित अभियुक्त अजय साहनी पुत्र शिशुपाल साहनी सा0 लउवासाथ, थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

नाम गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय साहनी पुत्र शिशुपाल साहनी सा0 लउवासाथ, थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

क्षेत्राधिकारी कार्यालय मधुबन गेट से 15 मीटर पहले आज सुबह समय करीब 08.55 बजे

पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन मार्गदर्शन में थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.10.2026 को रतनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास से मु0अ0सं0 221/2026 धारा 74, 351(3), 61(2) BNS व 7/8 POCSO Act पोक्सो एक्ट थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त जुवैद खाँ पुत्र रेयाज मोहम्मद उम्र करीब 20 वर्ष निवासी- बेहटा गोसाई, थाना बेलसी, जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया तथा 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त का विवरण –

1. जुवैद खाँ पुत्र रेयाज मोहम्मद (उम्र करीब 20 वर्ष) निवासी- बेहटा गोसाई, थाना बेलसी, जनपद बदायूं।
2. एक नफर बाल अपचारी।

***पंजीकृत अभियोंग*-**

1. मु0अ0सं0 221/2026 धारा 74, 351(3), 61(2) BNS व 7/8 POCSO Act पोक्सो एक्ट।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा महिलाओं बलिकाओं एवं छात्राओं को किया जा रहा जागरुक, पंपलेट वितरित कर दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी -

नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान।"""

मिशन शक्ति 6.0 के चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों स्कूलों कालेजों एव गांवो में जाकर आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पम्पलेट वितरित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, महिला उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, बालिकाओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी, बाल अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों तथा पुलिस सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा 05 पीड़ितो का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 8660 /- (आठ हजार छः सौ रुपये) पीडितों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 19.10.2026 को 05 पीड़ित/आवेदकों यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 8660 /- (आठ हजार छः सौ साठ रुपये) MRM PORTAL के माध्यम से थाना घोसी साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

आवेदकों का विवरण निम्नवत-

1. शिकायत संख्या-(33107250075323) आवेदक निबिल मंसूरी निवासी पुनापार थाना घोसी जनपद मऊ मो0 नं0 9569740936 का 608 रुपया वापस कराया गया।
2. शिकायत संख्या-(33102260043399) आवेदक रामचेत यादव निवासी घोसी थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 9795429392 का 861 रुपया वापस कराया गया।
3. शिकायत संख्या-(33110250148780) आवेदक अमन कुमार निवासी गोपालपुर थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 7355183081 के 1358 रुपये वापस कराये गये।
4. शिकायत संख्या-(33104260073530) आवेदक राहुल मौर्या निवासी भिखारीपुर थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 8423271114 के 2,950 रुपये वापस कराये गये।
5. शिकायत संख्या-(23108260156943) आवेदक दीपक कुमार निवासी जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी जनपद मऊ मो0नं0 9795603478 के 1000 रुपये वापस कराये गये।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

थाना कोपागंज पर 10 मुकदमें में बरामद अबैध देशी शराब 280 पाउच 200 ML कुल मात्रा- 56 लीटर कराया गया विनिष्टीकरण

आपरेशन क्लीन आभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अबैध शराब का कराया जा रहा विनिष्टीकरण, शराब विनिष्टीकरण के तहत उपजिलाधिकारी महोदय सदर मऊ के आदेश के क्रम में दिनांक 19.10.2026 को शराब विनिष्टीकरण हेतु गठीत टीम नायब तहसीलदार श्री रविन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी, थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह, उ0नि0 राजनाथ व अन्य पुलिस बल की उपस्थिति में थाना कोपागंज में कुल 10 अभियोंग से संबंधित अबैध देशी शराब 280 पाउच 200 ML कुल मात्रा- 56 लीटर गिराकर विनिष्टीकरण कराया गया ।

आगामी एमएलसी चुनाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया गया ब्रीफ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन एवं पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा आज दिनांक 19.10.2026 को आगामी एमएलसी (विधान परिषद सदस्य) निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद के समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियो को निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन तथा निर्वाचन संबंधी सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील स्थलों पर सतर्क दृष्टि रखने, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी मऊ एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपसी समन्वय एवं बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने, अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने तथा निर्वाचन से संबंधित प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद प्रशासन एवं मऊ पुलिस आगामी एमएलसी निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।